याल‍य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
दमा संख्याः–13/2018 प्रार्थना पत्र
श्री गोपाल पिता गोर्वधन लाल सोनी, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री कन्हैयालाल पिता गोर्वधन लाल सोनी, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सत्यनारायण पिता गोर्वधनलाल सोनी, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––प्रार्थीगण

बनाम

री माधू पिता मांगू कुमावत, उम्र बालिग निवासी कोराई कंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी गोकल पिता मांगू कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी मांगू पिता उदा भील, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी भैरू पिता माधू राव, उम्र बालिग निवासी कोराईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी ब्रदी पिता माधू राव, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी गोपाल पिता माधू राव, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–16.5.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कारोई कंला पटवार हल्का ईकंला .तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/ संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 490/1 ा 7 बीघा भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.1.2018 को पंजीबद्व किया र प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे ा की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार नेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार रेत किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर न पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार जाकर ग्राम कारोईकंला पटवार हल्का कारोईकंला .तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके / संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 490/1 रकबा 7 बीघा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता कारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भिलेख निरीक्षक कारोईकंला को 700/–रूपये (अक्षरेः–सात सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तिपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner